(11)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं नजूल अधिकारी,
उपखण्ड हातोद, जिला इन्दौर (म०प्र०)

क्रमांक / 261 / रीडर / नजूल / 2016 हातोद दिनांक 25 / 06 / 2016

प्रति,

मेसर्स महिमा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०
तर्फे डायरेक्टर रमेश पिता बंशीलाल धनोतिया
निवासी आर०एच 26 स्कीम नंबर 54 विजय नगर इन्दौर

विषय — नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में। (प्र०क्र० 60 / अ-74 / 15-16)
संदर्भ — आपके द्वारा प्रस्तुत नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने बाबद् आवेदन पत्र।

--0--

विषयातर्गत आपके द्वारा ग्राम बड़ाबागड़दा की भूमि सर्वे नबर 672/1, कुल रकबा 11.485 हेक्टेयर भूमि का नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में तहसीलदार हातोद से आवेदित भूमि की अभिलेख एवं मौका अनुसार जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त आवेदित भूमि के चालु वर्ष के खसरा रेकार्ड मे भूमि सर्वे नंबर निम्नानुसार है :-

सर्वे न.	रकबा	नाम भूमि स्वामी
331/1	0-045	मेसर्स महिमा एन्फारस्टक्चर प्रा0लि0तर्फे पता 305 बी अपोलो टॉवर एम0जी0रोड इंदौर डायरेक्टर श्री रमेश पिता बंशीलाल धनोतिया निवासी आर.एच 26 स्कीम न 54 विजय नगर इंदौर
332/1	0-239	
334/1	0-174	
646/1/1/3	0-369	
646/1/2/3	0-370	
646/2/1	0-336	
646/1/5	0-526	
669/1	0-182	
669/2	0-182	
670/1 पैकी	0-081	
670/1/2	0-081	
670/2	0-158	
671/2	0-081	
672/723	0-437	
678/1	0-194	
679/1	0-304	
681/2	0-145	
671/1	0-081	मेसर्स महिमा एन्फारस्टक्चर प्रा0लि0तर्फे डायरेक्टर शरद पिता फकीरचन्द मेहता व रमेश पिता बंशीलाल धनोतीया
671/3/1	0-077	
672/1	0-466	
672/2	0-251	
672/3	0-251	
672/4	0-312	
672/5	0-320	
672/6	0-466	
672/7	0-121	
682/1/1	1-044	
682/1/2	0-170	
682/1/3	0-170	
682/1/4	0-170	
682/1/5	0-348	
683/1	0-214	
684/1	0-247	
684/2	0-287	
684/3	0-356	

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील-हातोद, जिला-इन्दौर

672/724	0-081	
673	0-279	
675	0-166	
677	0-166	
646/1/3/2	0-559	मेसर्स महिमा एन्फारटक्चर प्रा0लि0तर्फे चिरागशाह पिता शान्तिलाल शाह
646/1/4/2	0-559	
646/2/2	0-336	
671/3/2	0-056	बद्रीरामप्रसाद, जगदीश, नंदा, हेमा, लच्छु, इन्द्रा, भूकी, अन्नपूर्णा बाई पिता शंकरसिंह, भेरुसिंह पिता बजेसिंह रामकन्याबाई बेवा भुवानसिंह, कैलाश मुन्नालाल उर्फ सुभाष व अन्नपूर्णाबाई, सावित्रीबाई पिता भुवान जाति कलौता ।

का नाम अंकित हैं। इसके साथ मिसल बन्दोबस्त की, खसरा नकल संलग्न प्रस्तुत की गई है।

तहसीलदार हातोद की उक्त रिपोर्ट में लेख अनुसार सर्वे नंबर 683 मिसल बंदोबस्त में शासकीय चरनोई मद में दर्ज है व वर्ष 1955–56 से भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है एवं शेष सर्वे नंबर भूमि स्वामी स्वत्व का होकर वर्तमान तक भूमि स्वामी स्वत्व की होना बताया है। आवेदक द्वारा नजूल अनापत्ति प्रमाणपत्र के संबंध में शासन के परिपत्र (म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल क्रमांक एफ 5–7/2014/सात–1 भोपाल, दिनांक 28/01/2014) प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्रश्नाधीन भूमि के वर्ष 1958–59 के खसरा बी–1 प्रस्तुत करने है। आवेदक ने इस संबंध में सर्वे क्रमांक 683/1 रकबा 0.214 है0 का वर्ष 1955–56 का खसरा प्रस्तुत किया है। इसके साथ आवेदक द्वारा एक शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त आवेदन के संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ग्राम बडाबांगडदा, स्थित भूमि सर्वे नंबर 672/1, व अन्य कुल रकबा 11.485 हेक्टेयर का शर्तो सहित नजूल अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

आवेदक को निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा :–

1. आवेदित प्रश्नाधीन भूमि पर भवन निर्माण करते समय दोनों ओर 1.6 फुट एवं सामने पॉच फीट जगह छोड़ना अनिवार्य होगा।
2. यदि प्रश्नाधीन भूमि के आसपास नजूल, शासकीय भूमि स्थित हो तो उस पर किसी प्रकार का निर्माण /विकास कार्य नहीं किया जावेगा, तथा प्रश्नाधीन भूमि से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने की दशा में यह नजूल अनापत्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी ।
3. प्रश्नाधीन भूमि पर भवन निर्माण के पूर्व आवेदक द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नगर पालिका निगम, लोक निर्माण विभाग, म0प्र0 विद्युत प्रदाय कंपनी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी।
4. प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के स्वामित्व, एवं सीमा मार्ग के विवाद की स्थिति होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार का भूमि स्वामी स्वत्व नहीं माना जावें।
6. यदि प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय भूमि शामिल पायी जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयमेंव निरस्त माना जावेगा।
7. प्रश्नाधीन भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण/ विकास के पूर्व सीमांकन कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में न्यायालयीन वाद उत्पन्न होने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
9. प्रश्नाधीन भूमि के सर्वे नंबर 683/1 रकबा 0.214 है0 के संबंध मे भविष्य में किसी भी प्रकार का स्वत्व संबंधी विवाद होने पर यह नजूल अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर यह नजूल अनापत्ति स्वयमेंव निरस्त मानी जावेगी, तथा इसकी जवाबदारी आवेदक की स्वयं की मानी जावेगी।

23/6/16

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हातोद, जिला-इन्दौर
अ. विभागीय एवं जिला अधिकारी
तहसील हातोद, जिला इन्दौर